सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें. सब बढ़ें.

शिक्षा विभाग, उत्तरांचल

प्रगति विवरण

2003-2004

विषय वस्तु

1	प्राक्कथन	3
2	प्रस्तावना	5–7
3	शिक्षा विभाग (विद्यालयी शिक्षा) का संरचनात्मक ढांचा	8–11
4	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	12
5	उत्तरांचल में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कुछ मुख्य आंकडे	13
6	कार्यक्रमवार प्रगति विवरण	
	• जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	14–18
	• सर्व शिक्षा अभियान	19–24
	• बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	25–26
	• निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण	27
	• मध्यान्ह भोजन योजना	28–32
7	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तरांचल	33–36

प्राक्कथन

जहाँ मानव के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं प्राथमिक शिक्षा का मानव के सर्वांगीण विकास हेतु नींव स्थापित करने की दृष्टि से प्रमुख स्थान है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। शिक्षा की सर्वसुलभता एवं गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु प्राथमिक शिक्षा विभाग तत्परता से कार्यरत है।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।।, सर्व शिक्षा अभियान, सतत् शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) प्रमुख योजनाएँ है।

प्रदेश में संचालित इन सभी कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु "उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद" का गठन वर्ष 2001 में किया गया है। साथ ही शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विद्यालयों का समय–समय पर मूल्यांकन करने की दृष्टि से वर्ष 2002 में एस0सी0ई0आर0टी0 (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) का गठन किया गया है।

नवगठित उत्तरांचल में प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2003–04 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। विभागीय योजनाओं को अनुभूत आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावोत्पादक, परिणामोन्मुख एवं जनोपयोगी बनाने हेतु विधान मण्डलों के मा0 सदस्यों के सुझाव अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रयोजन हेतु विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के सुझाव का विभाग हार्दिक स्वागत करता है।

(एम0 रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन

प्रस्तावना

प्रारम्भिक शिक्षा न मात्र मानव के सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण है, अपितु प्रत्येक मानव का अधिकार भी है। शिक्षा के विकास से प्रदेश व देश का विकास जुड़ा है। प्रारम्भिक शिक्षा, सामाजिक न्याय समानता की उपलब्धता व सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है। मनुष्य एवं देश के आर्थिक विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे एक सबल राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी दूर दृष्टि को संज्ञान में रखते हुये भारतीय संविधान में प्रारम्भिक शिक्षा को नागरिकों के मूल अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। उत्तरांचल सरकार शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु तत्परता से कार्यरत है। इसी क्रम में विभाग द्वारा उठाये गये निर्णायक कदम निम्न प्रकार हैं।

नीतिगत निर्णय

विभाग द्वारा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के अनुरूप शिक्षा विभाग के कार्य, कर्मियों एवं वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों के विकेन्द्रीकरण व विकेन्द्रित नियोजन को सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर ली गयी है। (संलग्नक 1)

उत्तरांचल में शैक्षिक प्रशासन

उत्तरांचल गठन उपरान्त प्राथमिक शिक्षा के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 एवं माध्यमिक शिक्षा के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921, वर्तमान में प्रदेश में भी प्रचलित है। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत अब तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से संचालित की जाती रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशक (बेसिक), मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद विद्यमान्न थे। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मण्डल स्तर पर मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक के पद विद्यमान थे। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाई एवं दूर–दूर तक फैले हुये विद्यालयों के विकास एवं मुख्यालय से कुशल संचालन एवं प्रभावी निरीक्षण हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं एवं विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान

स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावकारी व्यवस्था एवं नियंत्रण की आवश्यकता महसूस हुई। इसी क्रम में राज्य के छोटे आकार, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जन घनत्व एवं यातायात की असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये विभाग द्वारा छात्रों की कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को एकीकृत करते हुए एक निदेशालय के क्षेत्राधिकार में समग्र रूप से समन्वित कर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था को एकीकृत्त किया गया है। जिसके अन्तर्गत एक निदेशालय की स्थापना एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था की जायेगी (संलग्नक 2)। प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के साथ–साथ निदेशालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम यथा मध्याह्न भोजन व सामान्य बालकों को निःशुल्क पाठयपुस्तकों का वितरण भी सम्पादित किया जा रहा है।

उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद

उत्तरांचल एक नवगठित राज्य है परन्तु शिक्षा के प्रति एक सजग प्रदेश भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण सार्वजनीकरण हेतु व सम्बन्धित कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु उत्तरांचल में 17 फरवरी 2001 को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में "उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद" का गठन किया गया है। परिषद के माध्यम से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0), सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0), प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (संलग्नक 3)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तरांचल

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, विद्यालयों का समय–समय पर मूल्यांकन की दृष्टि से 17 जनवरी, 2002 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद" नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया। पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश की अवधारणा विभिन्न स्थानों पर स्थित 11 संस्थानों (मनोविज्ञानशाला, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान संस्थान, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि) के मुख्यालय के विपरीत उत्तरांचल में इन सभी संस्थानों के कार्यदायित्वों को एक में समाहित करते हुये एक अपर निदेशक, पाँच संयुक्त निदेशक, आठ उप निदेशक, बीस सहायक निदेशक, बीस शोध अधिकारी, साठ प्रवक्ता, एक लेखाधिकारी, एक लेखाकार, एक सीनियर ऑडिटर, एक ऑडिटर, बीस कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य सहकर्मियों सहित कुल 180 पदों के सृजन के साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी।

उत्तरांचल राज्य के प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इण्टर कॉलेजों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को अकादम्मिक सहयोग प्रदान करने के लिए परिषद में कार्य सम्पादन निम्न विभागों के अधीन किया जा रहा है–

1. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
2. विशिष्ट शिक्षा विभाग
3. सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तकनीकी एवं दूरस्थ शिक्षा विभाग
4. विज्ञान एवं गणित विभाग
5. भाषा विभाग
6. सामाजिक एवं विविध विषय विभाग
7. माध्यमिक शिक्षा विभाग
8. शोध एवं मूल्यांकन विभाग
9. शिक्षक शिक्षा / शिक्षा अभिकर्मी दक्षता अभिवर्द्धन विभाग
10. मनोविज्ञानशाला, व्यवसायिक शिक्षा एवं निर्देशन विभाग
11. (अ) पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग

    (ब) प्रकाशन एवं प्रसार
12. विभागीय समन्वयन

* * * * * * * * * *

3- शिक्षा विभाग (विद्यालयी शिक्षा) संरचना

उत्तरांचल गठन के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ढांचे पर अनुमोदन के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया । उक्त ढांचे में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को एक करते हुए एकीकृत ढांचे की संरचना की गई।

(A) सचिवालय स्तर पर ढांचा

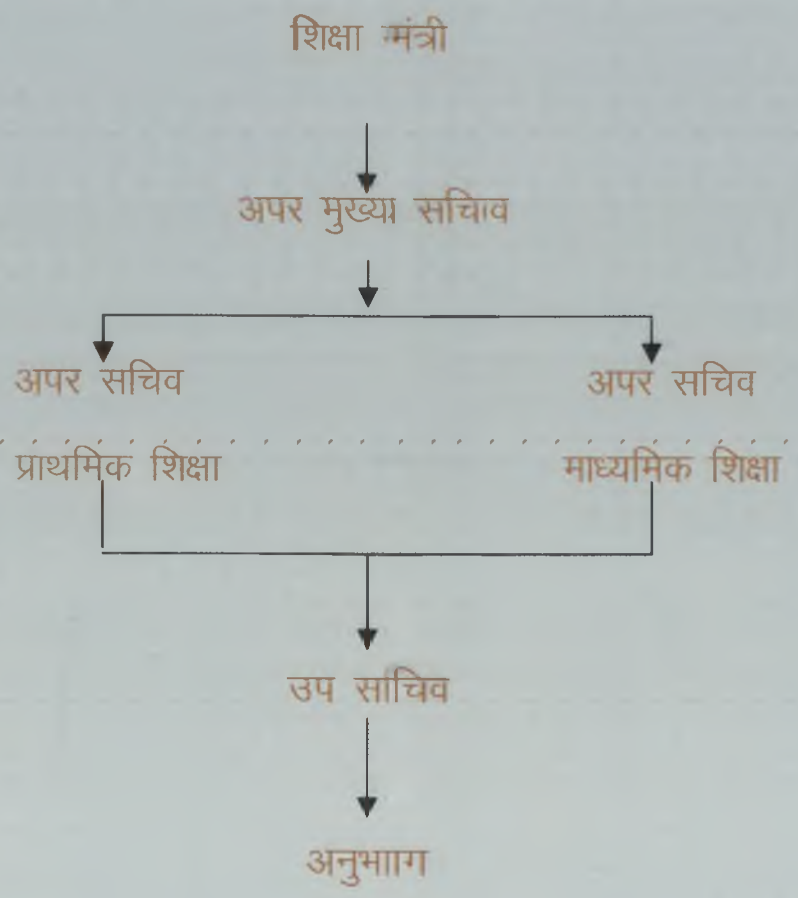

(B) निदेशालय स्तर

(पदेन निदेशक) शिक्षा निदेशक (पदेन सभापति)

(18400–22400)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0) नरेन्द्र नगर, टिहरी (Academic Support-Educational Research & Traning)

अपर निदेशक (1)

संयुक्त निदेशक/ विभागाध्यक्ष (5)

+

अन्य अधिकारी/ कार्यालय स्टाफ

निदेशालय (Educational Management)

अपर निदेशक (1) (14300–18300)

संयुक्त निदेशक (3) (12000–16500)

उप निदेशक (8) (10000–15200)

+

अन्य अधिकारी/ कार्यालय स्टाफ

उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल (Evaluation, Recognition)

सचिव (1)

अपर सचिव (1)

संयुक्त सचिव (2)

+

अन्य अधिकारी/ कार्यालय स्टाफ

(C) मण्डल / जनपद / विकास खण्ड / न्याय पंचायत / विद्यालय स्तर

मण्डल

नैनीताल		पौडी
अपर निदेशक (1)	(14300–18300)	अपर निदेशक (1)
संयुक्त निदेशक (2)	(12000–16500)	संयुक्त निदेशक (2)
अन्य अधिकारी / कार्यालय स्टाफ		अन्य अधिकारी / कार्यालय स्टाफ

जनपद (13 जनपद)

जिला शिक्षा अधिकारी (1) (12000–16500)

अपर जिला शिक्षा अधिकारी (2) (10000–15200)

कार्यालय स्टाफ

विकास खण्ड (95)

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (पदेन – मुख्यालय के रा0इ0का का प्रधानाचार्य)

उप खण्ड शिक्षा अधिकारी (95) (6500–10500). बी0आर0सी0 समन्वयक

न्याय पंचायत / संकुल

क्षेत्र शिक्षा अधिकारी (पदेन – संकुल स्तर के रा0इ0का0 का प्रधानाचार्य). एन0पी0आर0सी0

समन्वयक

इण्टर कालेज

हाईस्कूल

जूनियर हाईस्कूल प्राथमिक विद्यालय

शिक्षा केन्द्र

(D) "उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद"

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत 17 फरवरी 2001 को "उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद" सोसायटी को एक स्वायत्तशाषी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया।

उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद प्रबन्ध एवं नियोजन तंत्र

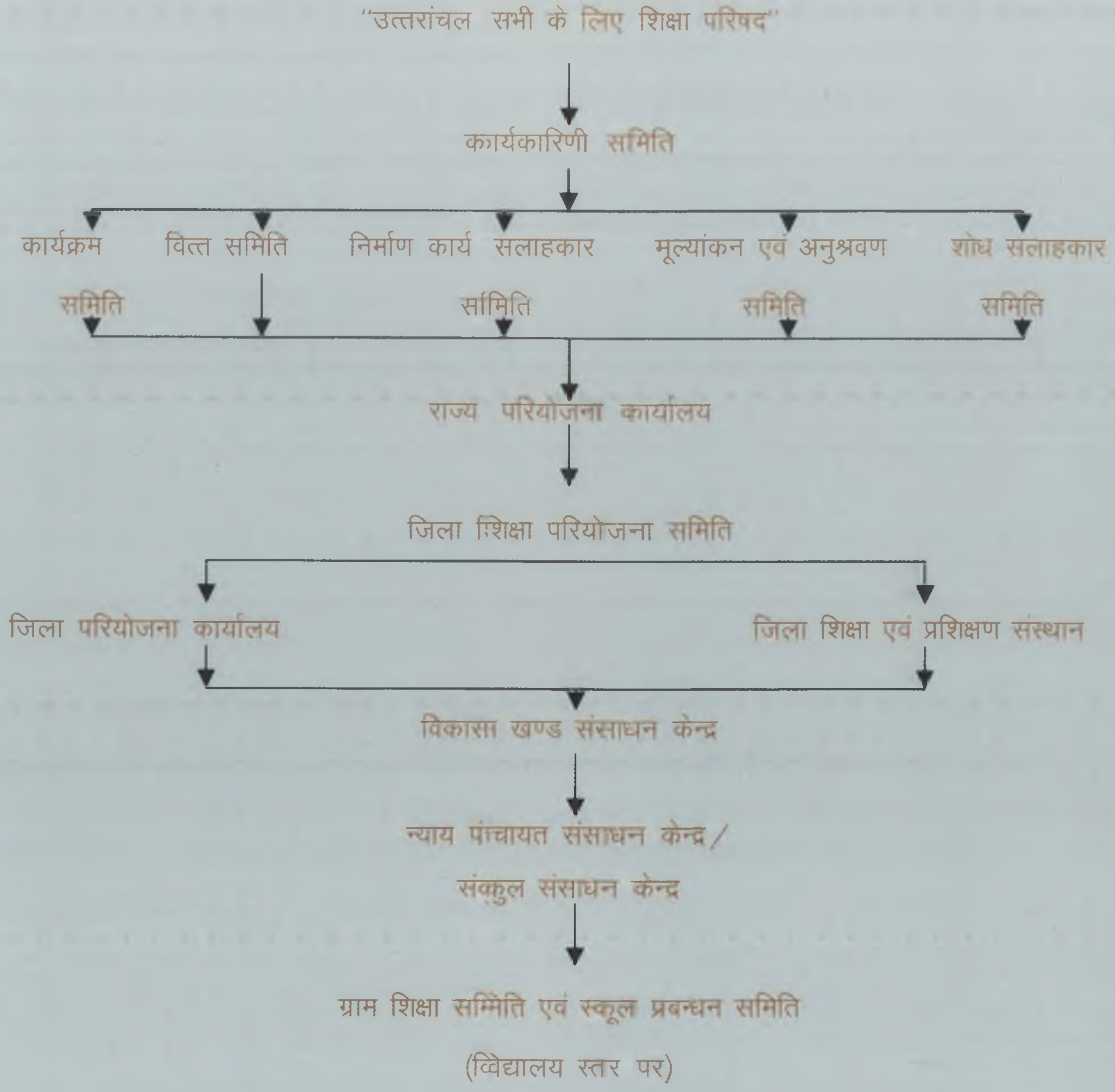

4- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल : वर्ष 2003-04 की विशिष्ट उपलब्धियाँ

(अ) नीतिगत निर्णय–

1. 73वें संविधान संशोधन के अनुपालन में शिक्षा विभाग के कार्यो, कर्मियों एवं वित्तीय अधिकारों का ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकरण।
2. वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण।
4. प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूर्ण करने की दृष्टि से 2600 पद विशिष्ट बी0टी0सी0 तथा 2400 पद शिक्षा मित्रों की नियुक्ति से भरने की कार्यवाही।

(ब) शिक्षण विधायें

5. बहुकक्षा शिक्षण एवं सीखने की बहुस्तरीय क्षमताओं के हित में कुंजापुरी मॉडल (नवाचारी शिक्षण विधा) का विकास एवं प्रयोग।
6. स्कूल कोटिकरण प्रणाली तथा उपकरणों का विकास एवं प्रारम्भ।
7. कम्प्यूटर सहायतित शिक्षण अधिगम– 13 जिलों में स्कूलों में प्रारम्भ, 26 मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित। अजीम प्रेम जी फाउण्डेशन के सहयोग से 15 सी0डी0 उत्तरांचल के सन्दर्भ लेकर विकसित स्कूलों को 1800 सी0डी0 निःशुल्क वितरित।

(स) कार्यक्रम

8. 10वीं पंचवर्षीय योजना में 4500 नवीन प्राथमिक विद्यालय मार्च 2007 तक खोलने के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 550 नवीन प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर।
9. 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त मार्च 2007 तक 300 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के लक्ष्य के सापेक्ष 288 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण विभिन्न स्तरों पर संचालित।
10. प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी निम्न आयु वर्ग में समन्वय करने हेतु 1478 ई0सी0सी0ई0 केन्द्र, 743 ई0जी0एस0 तथा 777 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित।
11. 03 डी0पी0ई0पी0 जिलों ने न्यूनतम राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर (एफ0एल0आर0) को पार कर दिया है।
12. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत राज्य के 11504 स्कूलों में 787193 बच्चों को पका–पकाया भोजना वितरित।
13. कुल 1493810 बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण।

5- उत्तरांचल में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कुछ मुख्य आंकडे

1	कुल जनपद	13
	(अ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (कक्षा 1–5)	
	सर्व शिक्षा अभियान (कक्षा 6–8)	6 जनपद
	(ब) सर्व शिक्षा अभियान (कक्षा 1–8)	7 जनपद
2	औसत साक्षरता दर (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)	
	(अ) पुरूष साक्षरता दर (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार औसत 64.28)	84.01
	(ब) महिला साक्षरता दर	60.26
3	6–14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या	17.61 लाख
4	कुल नामांकित बच्चों की संख्या (कक्षा 1–8)	17.33 लाख
	(अ) प्राथमिक कक्षा (1–5)	11.32 लाख
	(ब) उच्च प्राथमिक (6–8)	06.01 लाख
5	विद्यालय न जाने वाले बच्चे	0.28 लाख
6	ड्राप–आउट दर	4.5% (6–11 वर्ष)
		7.0% (11–14 वर्ष)
7	अध्यापकों के कुल स्वीकृत पद	51458
	(अ) प्राथमिक	28090
	(ब) उच्च प्राथमिक	23368
10	छात्र अध्यापक अनुपात	1:40
11	कुल विद्यालयों की संख्या (राजकीय एवं सहायतित)	15882
	(अ) प्राथमिक (राजकीय एवं सहायतित)	11651
	(ब) उच्च प्राथमिक (राजकीय एवं सहायतित)	4231
12	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात	1 : 2.75

6. कार्यक्रमवार प्रगति विवरण

(उ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP)

यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) के सार्वाभौमीकरण हेतु विश्व बैंक सहायतित एवं केन्द्र पुरनिधानित है। कार्यक्रम हेतु कुल स्वीकृत परियोजना लागत रू(0 95.82 करोड़ है। जिसमें केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत है।

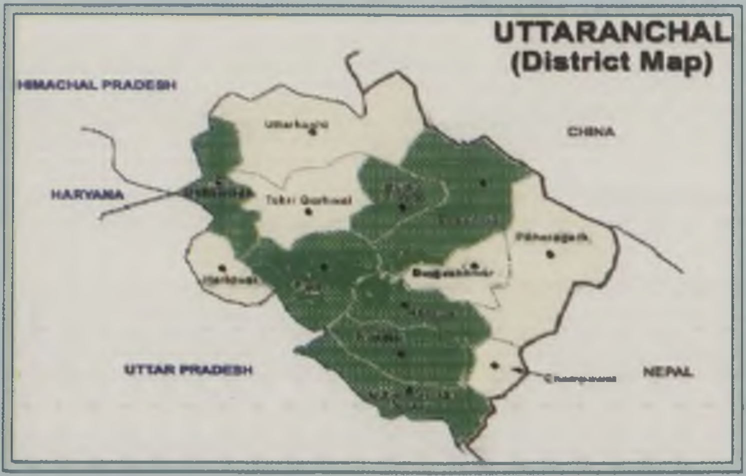

शिक्षा की पहुँच का विस्तार –

राज्य सरकार के मानक के अनुसार 300 आब्बार्दद्दी वाली ऐसी बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जने का प्राविधान है जिनकी 1 किमी0 की परिधि में प्राथमिक्क विद्यालय नहीं हैं।

परियोजना के प्रारम्भ से

कुल स्वीकृत परियोजना लागत	–	रू0 95.82 करोड़
कुल प्राप्त धनराशि	–	रू0 70.72 करोड़
कुल व्यय धनराशि	–	रू0 66.96 करोड़
नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापना	–	356
ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना	–	32
पुनर्निमाण प्राथमिक विद्यालय	–	341
कुल अध्यापकों के स्वीकृत पद	–	356
कुल शिक्षा मित्रों के स्वीकृत पद	–	356

नवीन प्राथमिक विद्यालय :-

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली असेवित वस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है। प्राथमिक विद्यालय की इकाई लागत परियोजना प्रारम्भ से वर्ष 2003-04 तक रू0 1.91 लाख निर्धारित की गयी थी। वर्ष 2004-05 में संशोधित इकाई लागत रू0 3.78 लाख प्रति विद्यालय स्वीकृत की गयी है। 40 प्रतिशत धनराशि डी0पी0ई0पी0 से तथा 60 प्रतिशत धनराशि जे0आर0वाई0/पी0एम0जी0वाई0 से उपलब्ध कराया गया है। नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी।

शिक्षा गारण्टी केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :-

ऐसी बस्तियाँ जो प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के मानकों को पूरा नहीं करती हैं उनमें शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के द्वारा की जा रही हैं। औपचारिक विद्यालयों की पहुँच (Access) में उपागम और गुणवत्ता संवर्द्धन के प्रयासों के बावजूद कतिपय श्रेणी के बच्चे सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली में प्रतिभाग करने में समर्थ नहीं होते हैं। डी0पी0ई0पी0- ।। कामगर बच्चों, असहाय बच्चों, यायावर समुदाय के बच्चों, शालात्यागियों आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विद्यालयों के विभिन्न प्रतिरूप ((मॉडल) प्रदान करता है। वैकल्पिक शिक्षा की रणनीति इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय प्रणाली की मुख्यधारा में लाने के प्रयोजन से वैकल्पिक अधिगम सुविधायें प्रदान करती हैं। 06 नये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन कर 129 छात्र/छात्राओं को नामांकन किया गया है।

राज्य सरकार ने सुदूर क्षेत्रों के बच्चों तथा छितरी हुई लघुबस्तियों के बच्चों के लिए विशेषतः छोटे बच्चे जो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते है, शत-प्रतिशत पहुँच (Access) प्रदान करने हेतु शिक्षा गारण्टी योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। शिक्षा गारन्टी योजना कक्षा 1 और 2 के लिए ऐसी बस्तियों में विद्यालय खोलने पर विचार करती है जहाँ 1 किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं और 6-11 वयवर्ग के 20 बच्चे (पर्वतीय) तथा 30 बच्चे (मैदानी) क्षेत्र में उपलब्ध हैं। योजना के "स्वामित्व" के प्रोत्साहन के लिए केन्द्र, कथित "विद्यालय केन्द्र" हेतु स्थान उपलब्ध कराने का दायित्व समुदाय को सौंपा गया हैं। इन केन्द्रों पर औपचारिक पाठ्यक्रम और

पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्येक शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र के पास कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने के लिए आचार्य जी की व्यवस्था की गयी है। ग्राम पंचायत को रू0 1000.00 प्रतिमाह नियत मानदेय पर आचार्य जी की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। आचार्य जी को प्रतिवर्ष एक माह का आगमन प्रशिक्षण और 15 दिन का पुनरभिनवीकरण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा केन्द्र को शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है। इन केन्द्रों को विद्या केन्द्रों के नाम से जाना जाता है। 666 नवीन विद्या केन्द्रों में 570 छात्र–छात्राओं को नामांकित किया गया।

निर्माण कार्य :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पेयजल, शौचालय एवं भवन मरम्मत का कार्य ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति का अपना बैंक खाता है। निर्माण कार्य हेतु धनराशि जिला परियोजना कार्यालय से सीधे सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में प्रेषित की जाती है। यह खाता ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक जो सदस्य सचिव हैं, के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित/व्यवहृत किया जाता है। पूर्णतयाः क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 32 प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण, 145 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 200 शौचालय, 150 विद्यालयों में पेयजल सुविधा तथा 75 विद्यालय भवन मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0ई0) :–

परियोजनान्तर्गत आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वयक स्थापित करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है। इसके द्वारा विद्यालय पूर्व के आयुवर्ग वाले बच्चों को विद्यालय जाने की तैयारी के साथ–साथ बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह केन्द्र प्राथमिक विद्यालय परिसर में होने के साथ–साथ विद्यालय समयानुसार ही संचालित किये जा रहे हैं। 213 नवीन प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0 ई0) का संचालन किया गया है तथा 791 ई0सी0सी0 ई0 कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया।

बालिका शिक्षा :–

जनपदों में जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक बाहुल्य एवं न्यून महिला साक्षरता दर वाली न्याय पंचायतों को आदर्श संकुल के रूप में विकसित किया गया है। इन मॉडल कलस्टरों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु माता–शिक्षक एवं प्रेरक समूह (ममता) का गठन किया गया है। इस समूह में माता शिक्षक संघ, महिला प्रेरक समूह, स्कूल प्रबन्धन समिति, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इस समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु ''आशा'' प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। 85 आदर्श संकुलों में 1461 ममता समूहों का गठन किया गया है।

विद्यालय एवं अध्यापक अनुदान :–

विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करने के लिए विद्यालय अनुदान तथा अध्यापकों को नियमित कक्षा शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करने हेतु अध्यापक को प्रतिवर्ष अध्यापक अनुदान दिया जाता है। 4454 विद्यालयों को रू0 2000/– प्रति विद्यालय की दर से विद्यालय अनुदान एवं 8429 अध्यापकों को रू0 500/– प्रति अध्यापक की दर से अध्यापक अनुदान वितरित किया गया।

वित्तीय प्राविधान :–

सम्पूर्ण परियोजना लागत का 85 प्रतिशत भारत सरकार तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2003–04 में रू0 26.71 करोड़ के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के सापेक्ष रू0 20.24 करोड़ व्यय किया गया।

वर्ष 2004–05 में प्रस्तावित कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0)

- 25 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 21 प्राथमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, 113 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 710 शौचालय, 25 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।
- 4667 प्राथमिक विद्यालयों हेतु रू0 2000/– प्रति विद्यालय की दर से विद्यालय अनुदान वितरित किया जायेगा।
- 25 प्राथमिक विद्यालयों को रू0 1,00,000/– प्रति विद्यालय की दर से शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान प्रस्तावित है।
- 35 विद्यालयों को भवन मरम्मत अनुदान वितरित किया जायेगा।
- 10462 शिक्षकों को रू0 500/– प्रति अध्यापक की दर से अध्यापक अनुदान वितरित किया गया।
- कक्षा 01–05 तक पढ़ने वाले 246560 बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किये जाने का प्राविधान किया गया है। पाठ्यपुस्तकों का वितरण 01 जुलाई, 2004 से प्रारम्भ कर दिया गया है।
- विशेष आवश्यकता वाले 2225 बच्चों को लाभान्वित किये जाने की योजना है।
- वर्ष 2004–05 के लिए रू0 22.76 करोड़, वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट अनुमोदित हुआ है। माह जून, 2004 तक रू0 03.56 करोड़ व्यय किया जायेगा।

****

(ब) सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें, सब बढ़ें.

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) के सर्वसुलभीकरण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से समस्त 13 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम हेतु वर्ष 1 अप्रेल 2001 से 31 मार्च 2007 तक कुल स्वीकृत परियोजना लागत रू0 600.63 करोड़ है। इस कार्यक्रम में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी क्रमशः 9वीं योजना अवधि में 85 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत, 10वीं योजना अवधि में 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत निर्धारित है।

घर–घर सर्वेक्षण एवं छात्र नामांकन

मई, 2002 में किये गये घर–घर सर्वेक्षण के आधार पर 6–14 वय वर्ग के कुल 74127 विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिह्नित किया गया था। जिनमें से मार्च, 2004 तक 46345 बच्चों को विभिन्न विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों में नामांकित किया गया। अब केवल 6–14 वय वर्ग के 27782 बच्चे विद्यालय जाने वे वंचित हैं। इन बच्चों को विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2004–05 में नवीन विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जा रही है।

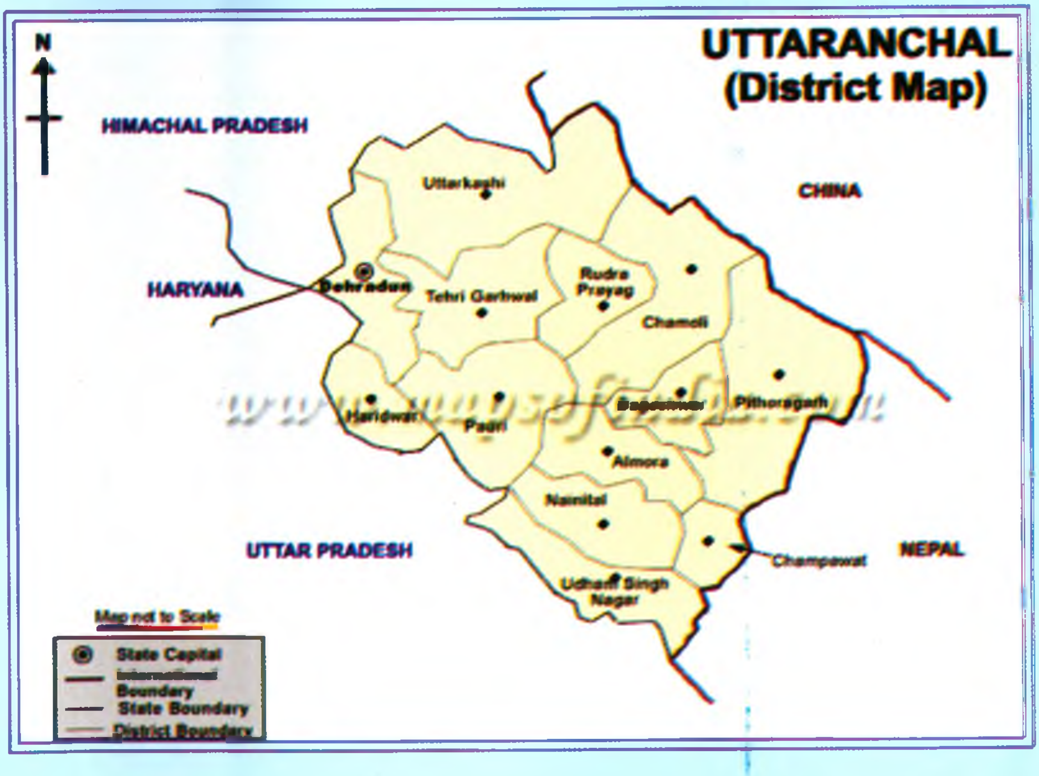

शिक्षा की पहुँच का विस्तार –

राज्य सरकार के मानक के अनुसार 300 आबादी वाली ऐसी बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्राविधान है जिनकी 1 किमी की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं तथा प्रत्येक 02 प्राथमिक विद्यालयों के मध्य अथवा ऐसी बस्तियाँ जिनकी 03 किमी की परिधि में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय न हो, नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्राविधान है।

परियोजना के प्रारम्भ से		
कुल स्वीकृत परियोजना लागत	–	रू0 600.63 करोड़
कुल प्राप्त धनराशि	–	रू0 113.40 करोड़
कुल व्यय धनराशि	–	रू0 95.30 करोड़
नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापना	–	194
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापना	–	401
ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना	–	30
कुल अध्यापकों के स्वीकृत पद	–	1993
कुल शिक्षा मित्रों के स्वीकृत पद	–	591

नवीन विद्यालय :–

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है। नवीन प्राथमिक विद्यालय में भवन निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ एक सहायक अध्यापक व एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की गयी है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में भवन निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ तीन सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की गयी है। 137 नवीन प्राथमिक तथा 228 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी।

शिक्षा गारण्टी केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :–

ऐसी बस्तियाँ जो प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के मानकों को पूरा नहीं करती हैं उनमें शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के द्वारा की जा रही है। औपचारिक विद्यालयों की पहुँच

(Access) में उपागम और गुणवत्ता संवर्द्धन के प्रयासों के बावजूद कतिपय श्रेणी के बच्चे सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली में प्रतिभाग करने में समर्थ नहीं होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कामगार बच्चों, असहाय बच्चों, यायावर समुदाय के बच्चों, शालात्यागियों आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक विद्यालयों के विभिन्न प्रतिरूप (मॉडल) प्रदान करता है। वैकल्पिक शिक्षा की रणनीति इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय प्रणाली की मुख्यधारा में लाने के प्रयोजन से वैकल्पिक अधिगम सुविधायें प्रदान करती हैं।

राज्य सरकार ने सुदूर क्षेत्रों के बच्चों तथा छितरी हुई लघुबस्तियों के बच्चों के लिए विशेषतः छोटे बच्चे जो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते हैं, शतप्रतिशत पहुँच (Access) प्रदान करने हेतु शिक्षा गारण्टी योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। शिक्षा गारन्टी योजना कक्षा 1 और 2 के लिए ऐसी बस्तियों में विद्यालय खोलने पर विचार करती हैं जहाँ 1 किमी की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं और 6–11 वयवर्ग के 20 बच्चे (पर्वतीय) तथा 30 बच्चे (मैदानी) क्षेत्र में उपलब्ध हैं। योजना के "स्वामित्व" के प्रोत्साहन के लिए केन्द्र, कथित "विद्यालय केन्द्र" हेतु स्थान उपलब्ध कराने का दायित्व समुदाय को सौंपा गया है। इन केन्द्रों पर औपचारिक पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्येक शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र के पास कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने के लिए आचार्य जी की व्यवस्था की गयी है। ग्राम पंचायत को रू0 1000.00 प्रतिमाह नियत मानदेय पर आचार्य जी की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। आचार्य जी को प्रतिवर्ष एक माह का आगमन प्रशिक्षण और 15 दिन का पुनरभिनवीकरण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा केन्द्र को शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है। इन केन्द्रों को विद्या केन्द्रों के नाम से जाना जाता है। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 165 नवीन एजुकेशन गारण्टी केन्द्रों की स्थापना कर इन केन्द्रों में 6254 छात्रों को नामांकित किया गया।

निर्माण कार्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पेयजल, शौचालय एवं भवन मरम्मत का कार्य ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति का अपना बैंक खाता है। निर्माण कार्य हेतु धनराशि जिला परियोजना कार्यालय से सीधे सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में प्रेषित की जाती है। यह खाता ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक

जो सदस्य सचिव हैं, के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित/व्यवहृत किया जाता है। पूर्णतयाः क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की द्वारा भवनों के भूकम्प रोधी मानचित्र तैयार किये गये हैं व ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। ब्लाक संसाधन केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। 205 प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण, 130 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण, 926 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 763 विद्यालयों में चाहर दीवारी, 1091 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0ई0) :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वयक स्थापित करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है। इसके द्वारा विद्यालय पूर्व के आयुवर्ग वाले बच्चों को विद्यालय जाने की तैयारी के साथ–साथ बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह केन्द्र प्राथमिक विद्यालय परिसर में होने के साथ–साथ विद्यालय समयानुसार ही संचालित किये जा रहे हैं। 531 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0ई0) के रूप में विकसित किया गया। उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, जाखन देवी अल्मोड़ा के सहयोग से 59 बालवाड़ियों एवं 12 इको संध्या केन्द्रों को ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के रूप में संचालित किया जा रहा है।

विद्यालय एवं अध्यापक अनुदान :–

विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करने के लिए विद्यालय अनुदान तथा अध्यापकों को नियमित कक्षा शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करने हेतु अध्यापक को प्रतिवर्ष अध्यापक अनुदान दिया जाता है। 10275 विद्यालयों को रू0 2000/– प्रति विद्यालय की दर से विद्यालय अनुदान एवं 26352 अध्यापकों को रू0 500/– प्रति अध्यापक की दर से अध्यापक अनुदान वितरित किया गया।

कम्प्यूटर एडेड लर्निंग :–

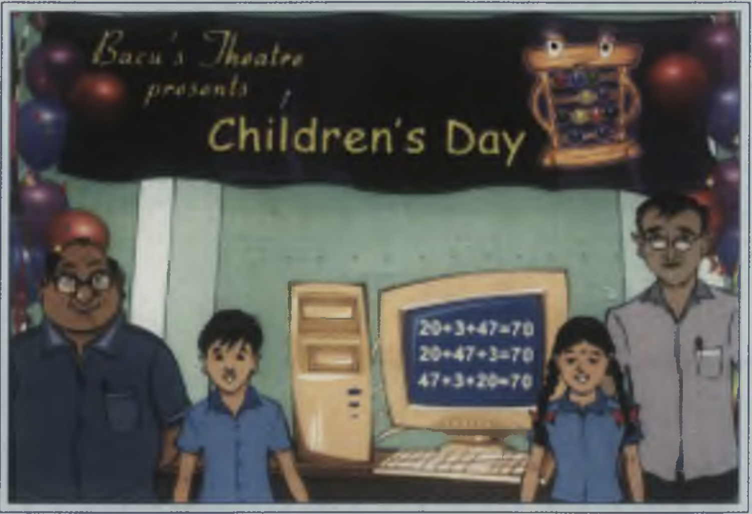

नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों एवं बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 50 लाख प्रतिवर्ष की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया हैं। इसके अन्तर्गत एक कार्यक्रम हेतु अधिकतम रू0 15 लाख व्यय किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में ई0सी0सी0ई0 केन्द्र, उपचारात्मक शिक्षण, व्यवसायिक शिक्षण तथा कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम सम्मिलित है। प्रथम चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को चयनित कर उनमें कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 118 विद्यालयों में 241 कम्प्यूटर हार्ड वेयर उपलब्ध कराये गये।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा :–

शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पहचान हेतु प्रत्येक जनपद में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गये हैं। इन शिविरों में विकलांगता परीक्षण, अभिभावक परामर्श तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र वितरित किये जाते हैं। परीक्षित बच्चों को निःशुल्क उपकरण प्रदान किये जाते हैं। 61 स्वास्थय परीक्षण शिविर आयोजित कर 9734 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की गयी तथा राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान (एन0आई0वी0एच0) एवं राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एन0आई0ओ0एच0) के सहयोग से 6026 बच्चों को निःशुल्क उपकरण प्रदान किये गये।

वित्तीय प्राविधान :–

परियोजना लागत का 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2003–04 में रू0 124.88 करोड़ के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के सापेक्ष रू0 65.68 करोड़ व्यय किया गया।

वर्ष 2004–05 में प्रस्तावित कार्यक्रम (सर्व शिक्षा अभियान)

- 55 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 135 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 140 प्राथमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, 317 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 819 शौचालय, 705 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, 1252 विद्यालयों में चाहर दीवारी, 03 ब्लाक संसाधन केन्द्र, 73 संकुल संसाधन केन्द्र एवं 122 विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य प्रस्तावित है।
- 7153 प्राथमिक एवं 3844 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रू0 2000/– प्रति विद्यालय की दर से विद्यालय अनुदान वितरित किया जायेगा।
- 109 प्राथमिक विद्यालयों को रू0 10,000/– प्रति विद्यालय तथा 284 उच्च प्रथमिक विद्यालयों को रू0 50,000/– प्रति विद्यालय की दर से शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान प्रस्तावित है।
- 7123 विद्यालयों को भवन मरम्मत अनुदान वितरित किया जायेगा।
- 31311 शिक्षकों को रू0 500/– प्रति अध्यापक की दर से अध्यापक अनुदान वितरित किया गया।
- 6–14 वय वर्ग के विद्यालय से बाहर रह गये 22184 बच्चों को एजुकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्राविधान किया गया है। शेष 5598 बच्चों को नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो में नामांकित किया जायेगा।
- कक्षा 01–08 तक पढ़ने वाले 682616 बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किये जाने का प्राविधान किया गया है। पाठ्यपुस्तकों का वितरण 01 जुलाई, 2004 से प्रारम्भ कर दिया गया है।
- विशेष आवश्यकता वाले 6757 बच्चों को लाभान्वित किये जाने की योजना है।
- कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम को चयनित 180 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विस्तारित किया जायेगा।
- समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 20 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- वर्ष 2004–05 के लिए भारत सरकार से रू0 126.94 करोड़ वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट अनुमोदित हुआ है।

(स) बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)–

यह कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से न्यून महिला साक्षरता दर वाले विकासखण्डों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के वित्तीय प्राविधान सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय मानकों के अनुरूप ही निर्धारित किये गये हैं।

- कार्यक्रम का संचालन 38 न्यून महिला साक्षरता दर वाले विकास खण्डों में किया जा रहा है।
- चयनित विकास खण्डों में आदर्श संकुल विद्यालय स्थापित किये गये हैं।
- वर्ष 2003–04 में भारत सरकार द्वारा 09 जनपदों के लिए 30 आदर्श संकुल विद्यालय अनुमोदित किये गये।

- 30 आदर्श संकुल विद्यालयों हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 88.91 लाख स्वीकृत किया गया तथा रू0 16.67 लाख अवमुक्त किया गया हैं।
- वर्ष 2004–05 में आदर्श संकुल विद्यालय विद्यालयों की स्थापना के लिए रू0 656.24 लाख की कार्ययोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।
- एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के अन्तर्गत राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं संकुल स्तर पर विभिन्न समितियो का गठन किया जा रहा है।

वर्ष 2004–05 में प्रस्तावित कार्यक्रम (NPEGEL)–

- 214 अतिरिक्त कक्षा–कक्षा, 189 शौचालय, 173 पीने के पानी की व्यवस्था, 20 खेल के मैदान, 124 चाहरदीवारी तथा 116 विद्यालयों में विद्युतिकरण की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- 250 चयनित विद्यालयों को रू0 1.50 लाख की दर से शिक्षण अधिगम सामग्री, 273 पुस्तकालय, 165 व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

- बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स, उपचारात्मक शिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण तथा मुक्त विद्यालयी शिक्षा दी जानी प्रस्तावित है।

- वर्ष 2004–05 हेतु कुल रू0 6.56 करोड़ की नवीन कार्ययोजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

****

(द) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की संवैधानिक प्रतिबद्धता एवं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – ।।। के अन्तर्गत उत्तरांचल के परिषदीय/राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के अध्ययनरत् 2,41,651 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 6,51, 723 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया।

उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – ।।। एवं सर्व शिक्षा अभियान योजनाओं में इस सुविधा से वंचित कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत् 4,29,145 सामान्य बालकों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। जिस पर रू0 30,48,5,000/– (रू0 तीन करोड़ अड़चालीस लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं व्यय की गयी।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु छात्रों की संख्या वर्ष २००३-०४

योजना		समस्त बालिका	अनु0जाति बालक	अनु0 जनजाति बालक	सामान्य बालक	योग
	राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा	184607	55787	1257	-	241651
	राज्य सरकार द्वारा	-	-	-	171291	171291
	योग	**184607**	**55787**	**1257**	**171291**	**412942**
	राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा	485856	143455	22412	-	651723
	राज्य सरकार द्वारा	-	-	-	429145	429145
	योग	**485856**	**143455**	**22412**	**429145**	**1080868**
	महायोग	***670463***	***199242***	***23669***	***600436***	***1493810***

(ग) मध्यान्ह भोजन योजना

भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को 300 कैलोरी पोषण क्षमता का 8–12 ग्राम प्रोटीन युक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने की योजना 15 अगस्त, 1995 को आरम्भ की गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं उत्तरांचल के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के सर्व–सुलभीकरण, विद्यालय में ठहराव, बच्चों के लिये विद्यालय में घर के समान वातावरण उत्पन्न करने की संकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से कक्षा 5 में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र/छात्रा को पके–पकाये गर्म मध्यान्ह भोजन वितरण की योजना आरम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में मध्यावकाश के समय भोजन देने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत खद्यान्न की व्यवस्था केन्द्र द्वारा तथा ढुलान व कर्न्वजेन्स कॉस्ट राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

वर्ष 2002–2003 में पका–पकाया मध्यान्ह भोजन योजना जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो माह मई एवं जुलाई से आरम्भ करते हुए तीन चरणों में राज्य के सभी विकास खण्डों के 11331 परिषदीय/राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षाघरों के 787193 बच्चों को वर्ष 2003–2004 में योजना से लाभान्वित किया गया। भोजन में शुद्धता बनी रहे और बच्चों को भोजन ममत्व के साथ बनाया और खिलाया जाय, इस अवधारणा के दृष्टिगत विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों की माताओं में से एक माता को भोजन माता के नाम से भोजन बनाने से खिलाने तक का दायित्व सौंपा गया। भोजन पकाने एवं वितरण के लिये विद्यालय प्रबन्ध समिति को उत्तरदीय बनाया गया है।

योजना के संचालन के लिये वर्ष 2003–2004 हेतु ईधन, तेल, दाल आदि के लिये राज्य सरकार के द्वारा कुल कनवर्जेन कौस्ट के अन्तर्गत रू0 2426 लाख बजट प्रावधानित किया गया। प्रावधानित धनराशि में से रू0 2333.22 लाख (96%) की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2004–2005 में तीन माहों हेतु (अप्रैल, मई एवं जुलाई 2004)

मसाला, दाल, तेल, ईधन एवं भोजन माता के मानदेय हेतु रू0 759.66 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी हैं।

भारत सरकार द्वारा कक्षा 6 से 10 तक के बच्चें को भी योजना से लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रथम चरण में मात्र परिषदीय एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में योजना विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव है। राज्य में 2627 परिषदीय तथा 201 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल इस प्रकार कुल 2828 विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले कुल 2,69,143 बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे।

मध्यान्ह भोजन योजना के सुव्यवस्थित अनुश्रवण के लिये विद्यालय स्तर से शासन स्तर तक अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया है। अनुश्रवण व्यवस्था को प्रभावशाली एवं पारदर्शी बनाने के लिये आकस्मिक निरीक्षण करने, निरीक्षण की संकलित आख्या उपलब्ध कराने एवं योजना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये Feed Back System को मजबूत किये जाने हेतु शिक्षा के नये ढाँचे के अन्तर्गत व्यवस्था की जा रही है।

गत वर्ष आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष वितरण (Offtake) 126% रहा।

भोजन माता :–

उत्तरांचल में भोजन पकाने के लिये अभिनव प्रयोग करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत् किसी छात्र/छात्रा की माँ को भोजन पकाने एवं खिलाने का दायित्व सौंपा गया, जिससे कि वह बच्चों के लिये ममत्व एवं स्वच्छता पूर्वक मध्यान्ह भोजन पका सके। भोजन माता को विद्यालय की छात्र संख्यानुसार रू0 250 से रू0 450 तक मानदेय दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

रसोई सहायक :–

ऐसे विद्यालय जिनकी छात्रसंख्या 100 से अधिक है, में आगामी सत्र जुलाई से एक रसोई सहायक तैनात किये जाने का प्रस्ताव है। रसोई सहायक भी विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र की माँ होगी। रसोई सहायक को 250 रूपये मासिक मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव है।

मध्यान्ह भोजन योजना की अनुश्रवण व्यवस्था :–

मध्यान्ह भोजन योजना के सुव्यवस्थित अनुश्रवण के लिये विद्यालय स्तर से शासन स्तर तक अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया है :–

1. राज्य स्तर पर

मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव शिक्षा	–	सदस्य
ग्राम्य विकास आयुक्त	–	सदस्य
सचिव, ग्राम्य विकास	–	सदस्य
सचिव, नगर विकास	–	सदस्य
सचिव, खाद्य	–	सदस्य
सचिव, महिला एवं बाल विकास	–	सदस्य
सचिव, पेयजल	–	सदस्य
विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि	–	सदस्य
निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	–	संयोजक

2. जिला स्तर पर

जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
जिलापूर्ति अधिकारी	–	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान	–	सदस्य
परियोजना अधिकारी, बाल विकास	–	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)	–	संयोजक

3. विकास खण्ड स्तर

विकास खण्ड अधिकारी

खण्ड शिक्षा अधिकारी

उप खण्ड शिक्षा अधिकारी

4. ग्राम स्तर पर

विद्यालय प्रबन्ध समिति

मध्याहन भोजन योजना का अन्य योजनाओं से समन्वयन

उत्तरांचल प्रदेश में मध्यान्ह भोजन प्लस योजना को सफल योजना की श्रेणी में रखा जा सकता है। योजना के सुचारू संचालन हेतु अन्य विभागों/अभिकरणों/योजनाओं से निम्नवत् कनवर्जेन्स किया जा रहा है –

1. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन प्लस योजना –

प्राथमिक विद्यालयों के ही परिसर में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों को ई0सी0सी0ई0 केन्द्र कहा जाता है। इन केन्द्रों में आने वाले 3–6 वर्ष के बच्चों के लिये प्राथमिक विद्यालयों की भाँति मध्यान्ह भोजन दिये जाने की व्यवस्था नहीं थी। उत्तरांचल में राज्य सरकार द्वारा ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चों को भी मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से ऐसे 1555 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में 36711 बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन योजना लागू करने हेतु रू0 20 लाख 67 हजार की धनराशि आवंटित की गयी है।

2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से कनवर्जेन्स –

मध्यान्ह भोजन योजना हेतु आधारभूत व्यवस्था जुटाने के लिये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से कनवर्जेन्स किया गया है।

वर्ष	उपलब्ध कराई गयी धनराशि	विद्यालयों की संख्या	उपलब्ध कराई गयी धनराशि
2003–2004	ग्रेनविन, पानी की टंकी, तथा कुकिंग गैस	9807	रू0 460.945 लाख
2004–2005	ग्रेनविन, पानी की टंकी, तथा कुकिंग गैस	9807	रू0 460.945 लाख

वर्ष 2004–2005 में मध्यान्ह भोजन योजना की कनवर्जेन्स कॉस्ट की माँग प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से किये जाने का प्रस्ताव है।

3. एस0जी0आर0वाई0 और एन0एस0डी0पी0 से कनवर्जेन्स –

विद्यालयों में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से बनाये गये किचन शेड, जहाँ अस्थायी प्रकृति के हैं, वहाँ खाद्यान्न भण्डारण की अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण स्थायी किचन शेड एवं भण्डार कक्ष सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना व राष्ट्रीय मलिन बस्ती परियोजना के माध्यम से निर्मित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

4. वन पंचायत से कनवर्जेन्स –

उत्तरांचल में कुछ ऐसे विद्यालय जो परिवहन व्यवस्था से वंचित सुदूर स्थानों पर स्थित हैं एवं जहाँ कुकिंग गैस उपलब्ध कराया जाना कठिन है। ऐसे स्थानों पर स्थित विद्यालयों में वन पंचायतों के माध्यम से जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

5. विश्व खाद्य कार्यक्रम –

विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से उत्तरांचल के दो जनपदों क्रमशः चमोली एवं उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिकता युक्त आहार 'इण्डिया मिक्स' उपलब्ध कराए जाने की योजना पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की जा रही है। इसमें प्रतिदिन प्रतिछात्र 100 ग्राम इण्डिया मिक्स मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा। इण्डिया मिक्स के ढुलान, भण्डारण एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये रू0 18.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

6. गैर परम्परागत ऊर्जा विभाग से कनवर्जेन्स –

सौर ऊर्जा के लिये गैर परम्परागत ऊर्जा विभाग के सहयोग से प्रत्येक ब्लाक के एक विद्यालय में सौर ईंधन की सहायता से मध्यान्ह भोजन पकाने की अग्रेत्तर परियोजना के अन्तर्गत जनपदों से प्रस्ताव माँगे गये हैं। अग्रेत्तर परियोजना के परिणामों के आधार पर भविष्य में सौर ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा।

7. योजना का विस्तार –

भारत सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों को भी मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रथम चरण में मात्र परिषदीय एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में योजना विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव है। राज्य में 2627 परिषदीय तथा 201 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल इस प्रकार कुल 2828 विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले कुल 2,69,143 बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे।

****

7- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तरांचल

17 जनवरी, 2002 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया।

पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश की अवधारणा विभिन्न स्थानों पर स्थित 11 संस्थानों (मनोविज्ञानशाला, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान संस्थान, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि) के मुख्यालय के विपरीत उत्तरांचल में इन सभी संस्थानों के कार्यदायित्वों को एक में समाहित करते हुये एक अपर निदेशक, पाँच संयुक्त निदेशक, आठ उप निदेशक, बीस सहायक निदेशक, बीस शोध अधिकारी, साठ प्रवक्ता, एक लेखाधिकारी, एक लेखाकार, एक सीनियर ऑडिटर, एक ऑडिटर, बीस कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य सहकर्मियों सहित कुल 180 पदों के सृजन के साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी।

उत्तरांचल राज्य के प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इण्टर कॉलेजों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को अकादमिक सहयोग प्रदान करने के लिए परिषद में कार्य सम्पादन निम्न विभागों के अधीन किया जा रहा है–

1. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
2. विशिष्ट शिक्षा विभाग
3. सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तकनीकी एवं दूरस्थ शिक्षा विभाग
4. विज्ञान एवं गणित विभाग
5. भाषा विभाग
6. सामाजिक एवं विविध विषय विभाग
7. माध्यमिक शिक्षा विभाग
8. शोध एवं मूल्यांकन विभाग
9. शिक्षक शिक्षा / शिक्षा अभिकर्मी दक्षता अभिवर्द्धन विभाग
10. मनोविज्ञानशाला, व्यवसायिक शिक्षा एवं निर्देशन विभाग
11. (अ) पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग
    (ब) प्रकाशन एवं प्रसार
12. विभागीय समन्वयन

अध्यापक सेवारत प्रशिक्षण :–

प्राथमिक शिक्षा की नवीन पाठ्य पुस्तकों के अनुप्रयोग हेतु सेवारत् प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवीन पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु एवं नवीन सम्बन्धों द्वारा, बच्चों के ज्ञानात्मक एवं कौशलात्मक विकास को दृष्टिगत रखते हुए नवीन पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु को रोचक बनाने के दृष्टिकोण से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में साधन प्रशिक्षण माड्यूल को विकसित किया गया तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। द्वितीय चरण में भाषा गणित एवं पर्यावरणीय शिक्षा के कठिन स्थलों तथा बालिका शिक्षा, विशेष आवश्कता वाले

छात्र–छात्राओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने हेतु स्वनिर्देशित प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण कर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को कठिन स्थलों, बालिका शिक्षा एवं विशेष आवश्कता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदीकरण तथा सामुदायिक सहभागिता विषयों पर 10 दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सम्पादित कार्य विवरण–

1. संकुल/ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयकों के कार्य दायित्वों सम्बन्धी प्रशिक्षण पैकेज 'संवाद' का निर्माण।
2. विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण।
3. कक्षा 1 के लिए अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक निर्माण सम्बन्धी विविध कार्यशालाओं का आयोजन एवं पाठ्यपुस्तक का निर्माण।
4. कक्षा 1 की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक के शिक्षण विधा पर प्रशिक्षण।
5. डायट्स के माध्यम से विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया का सम्पादन।
6. संकुल, ब्लाक, जिला, राज्य समन्वयकों के चयन सम्बन्धी कार्यवाही।
7. जिला परियोजना कार्यालयों हेतु लेखाकार के चयन की कार्यवाही।
8. 'संवाद' प्रशिक्षण पैकेज पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण।
9. कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के पर्यावरणीय सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान, जागरूकता एवं अभिवृत्ति, मूल्यांकन हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर प्रश्न बैंक एवं प्रश्नावली का निर्माण।
10. उत्तराखण्ड सेवा निधि के सहयोग से डायट्स के प्रवक्ताओं को पर्यावरण शिक्षा से सम्बन्धित मास्टर ट्रेनर्स तैयार किया जाना।
11. भारती विद्या पीठ पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के स्तर से कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों एवं स्कूली व्यवस्था में पर्यावरणीय शिक्षा का विद्यालयों में किये गये मूल्यांकन में सहयोग।
12. लिपिक संवर्गीय कर्मियों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
13. स्कूल एड्स एजुकेशन कार्यक्रम का संचालन।
14. 30वीं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2003 का आयोजन।

15. राज्य स्तरीय विज्ञान सेमीनार का आयोजन।
16. राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन।
17. प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कक्षा 1 हेतु अंग्रेजी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण।
18. प्रधानाचार्यों के कार्य दायित्वों सम्बन्धी प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण।
19. प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण।
20. विशिष्ट बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम निर्माण।
21. School Evaluation - एस0सी0ई0आर0टी0 के 1 प्रतिभागी को नीपा द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया।
22. सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन कार्यशाला में प्रतिभाग कराया गया।
23. कक्षा–3 में गणित विषय के मूल्यांकन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के एक प्रतिभागी को एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा पाँच दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया गया।
24. समन्वयक संकुल/ब्लाक संसाधन केन्द्र के कार्यदायित्वों का प्रशिक्षण माड्यूल पर आधारित 'संवाद' का प्रकाशन।
25. कक्षा 1 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक Learn with fun का प्रकाशन।

* * * * * * * * * *

Printed at: MicroMint, Dehradun, Ph.: 2654314